मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
8/5/24	पत्रावली पेश हुई। शाकिलान व शाकिलान वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार शाकिलान व शाकिलान वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद शाकिलान व शाकिलान वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि शाकिलान व शाकिलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० न० 81/17 U.I. मरीजी बनाम रकम नगे० अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:09:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner